



2026:AHC:38401-DB

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं - 1280 वर्ष 2026**

श्रीमती सुनीता

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जीतेन्द्र प्रताप गौतम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी. ए.

न्यायालय क्रमांक - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. सर्वप्रथम, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. ने बताया कि प्रस्तुत मामले में, अन्वेषण पहले ही समाप्त हो चुका है और अंतिम रिपोर्ट 29.12.2025 को प्रस्तुत कर दी गई है।
3. तद्विरुद्ध, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह इस रिट याचिका पर दबाव नहीं देना चाहते और उचित अवस्था पर उचित फोरम को सक्षम होने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

20 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”